

धारा(4) (1) ख (xii)

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन को रीति जिसमें आवंटित (अनुदान) राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों की विवरणी

केन्द्र एवं राज्य योजनान्तर्गत अनुदान की राशि लाभार्थियों को दी जाती है। सरकार के दिशानिर्देश के आलोक में अनुदान की राशि स्वीकृत की जाती है। केन्द्र एवं राज्य सरकार के निर्धारित मापदंड तथा दिशानिर्देश के अनुरूप अनुदान की राशि लाभार्थियों के बैंक खाता में आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से डी०बी०टी० किया जाता है।

विभिन्न योजनायें, जिसमें अनुदान की राशि दी जाती है कि सूचना सम्बन्धित जिला मत्स्य कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। लाभार्थियों की सूची जिला मत्स्य कार्यालय में उपलब्ध है।

